कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in.   Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1362 / 12–1   :देहरादूनः दिनांकः 8.11 ~~अक्टूबर~~, 2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद नैनीताल में बगडवार बैण्ड से दूनी (विरसिग्या) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/948D/2015

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 85 / 2016 / एफ0सी0 / 814 दिनांकः–19.07.2018

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्रांक 515 / 12–1 दिनांक 04–10–2024 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	शर्त संख्या–1 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.56 है0 ग्राम–बबियाड़ सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के समाहित करते हुये यथासंसोधित) की जायेगी उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.56 है0 ग्राम–बबियाड़ सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख– रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 33,92,860.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1)** तथा उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम अमलदरामद भी कर दिया गया है। अमलदरामद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**
2	शर्त संख्या–2 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–6–3 / 2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0बी0 की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि भारत सरकार के पत्र संख्या 6–3 / 2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की निर्धारित राशि 48,86,973.00 चालान संख्या SBIN 524107761373 द्वारा जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक–3)**
3	शर्त संख्या–3 शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी का बचन बद्वता प्रस्तुत की जाय।	नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार

		अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी का बचन बद्वता प्रमाण पत्र **संलग्न है। (संलग्नक–4)**
4	शर्त संख्या–4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियों (CA Cost NPV etc) को बैब पोर्टल पर Online Generat किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किये जाय अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के रूप में मान्य नहीं होगी।	नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि जमा की गयी सभी निधियों (CA Cost NPV etc) को बैब पोर्टल पर Online Generat किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में चालान संख्या SBIN 524107761373 दिनांक 15.04.2024 द्वारा जमा कर दिये गये हैं। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5	शर्त संख्या–5 सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantaion की जायेगी। इस आशय की बचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख मे Strip Plantaion की जायेगी का बचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–5)**

अतः अनुरोध है कि वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही/स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–1362/12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)

eepwdbhowali@rediffmail.com

पत्रांक 1604/8सी0 दिनांक3.09.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

विषय–: जनपद नैनीताल मे बगडवार बैण्ड से दूनी (विरसिग्या) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ–: भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय देहरादून का पंत्राक 8बी/यू0सी0पी0/06/85/2016/एफ0सी0/814 दिनांक 19.7.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्राप्त हुई है, जिसकी अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

शर्त	अनुपालन आख्या
शर्त स0–1 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.56 है0 ग्राम–बबियाड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एंव उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) की जायेगी।उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अत। इसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा।	शर्त स0–1 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.56 है0 ग्राम–बबियाड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एंव उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 33,92,860.00(वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा कर दी गई है।उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे दिनांक 30.07.2024 को राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है(प्रति संलग्न)
शर्त स0–2 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र स0 6–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 5.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0बी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त स0–2 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र स0 6–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 5.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0बी0) की निर्धारित राशि 48,86,973.00 चालन स0 SBIN 524107761373 द्वारा जमा कर दिया गया है।(प्रति संलग्न)
शर्त स0–3 शुद्व वर्तमान मूल्य की दर मे अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। का वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	शर्त स0–3 शुद्व वर्तमान मूल्य की दर मे अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। का वचन बद्वता प्रमाण पत्र सलंग्न है।
शर्त स0–4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost.NPV.etc)को बैब पोर्टल पर Online Generat किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक मे जमा किए जाए, अन्य माध्यमो से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की	शर्त स0–4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधिया(सी0ए0)को बैब पोर्टल पर ऑन (CA cost.NPV.etc)को बैब पोर्टल पर Online Generat किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक मे चालन स0 SBIN 524107761373 दिनांक 15.4.2024 द्वारा जमा कर दिया गया है।(प्रति संलग्न)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)

UTTARAKHAND

eepwdbhowali@rediffmail.com

अनुपालन आख्या के रूप मे मान्य नही होगी	है।(प्रति संलग्न)
शर्त स0–5 सडक निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सभव हो सडक के दोनो किनारो तथा Central Vergw पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख मे strip plantaion की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	शर्त स0–5 सडक निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सभव हो सडक के दोनो किनारो तथा Central Vergw पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख मे strip plantaion की जाएगी। का वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक मोटर मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति शर्तो की अनुपालन आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करे।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवंनोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

G:\Letter... (2)AE.doc

Scanned with OKEN Scanner

मार्ग का नाम– जनपद नैनीताल मे बगडवार बैण्ड से दूनी (विरसिग्या) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

<u>एन0पी0वी0 की दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण – पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली

Scanned with OKEN Scanner

मार्ग का नाम– जनपद नैनीताल मे बगडवार बैण्ड से दूनी (विरसिग्या) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न

प्रमाणित किया जाता है कि सडक निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सभव हो सडक के दोनो किनारो तथा Central Vergw पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख मे strip plantaion किया जाएगा।

अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली

Scanned with OKEN Scanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-04-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6194800286
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/85/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer P.W.D. BhowaliNainital
Amount(in Rs)	8279833/-

Amount in Words :Eighty-Two Lakh Seventy Nine Thousand Eight Hundred and Thirty-Three Rupees Only

SBINS24107594547

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896194800286 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment througl even after 7 working days, then kindly mail a co id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epu ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBIN

Executive Engineer
Temporary Division, P.W.D.
Bhowali (Nainital)

Scanned with OKEN Scanner

Website-http://pwd.uk.gov.in

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांक : 4879/25 बजट (भूमि क्रय/प्रतिकर भुगतान)/2023–24

दिनांक 16 .03.2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी),
निर्माण/अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
चिन्यालीसौड़/भवाली।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनु0सं0–22, लेoशी0–5054(पूँजीगत) भूमि क्रय/भूमि प्रतिकर भुगतान मद में पुर्नआवंटन/समायोजन।

सन्दर्भः–
1–शासनादेश संख्या– 1/22816/2023 एवं ई0पत्रावली सं0 44130 दिनॉक 19.05.2023।
2–शासनादेश संख्या– 1/151279/2023 एवं ई0पत्रावली सं0 44130 दिनॉक 4.9.2023।
3–शासनादेश ई0पत्रावली सं0 44130 दिनॉक 6.11.2023।
4–शासनादेश संख्या–1/197589/2024 एवं ई0पत्रावली सं0–44130 दिनांक 12.03.2024।
5–शासनादेश संख्या– 1/151279/2023 एवं ई0पत्रावली सं0 44130 दिनॉक 4.9.2023।
6–अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़ का पत्र सं0– 384/बजट समर्पण, दि0 15.03.2024।
7–अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0, लो0नि0वि0, भवाली का पत्र सं0– 6038/09बजट–हल्द्वानी/2023, दि0 30.12.2023।

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश (क्रमांक 1 से 5 तक) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक–5054–04–337–03–04–54 (पूँजीगत) एन0पी0वी0 का भुगतान/भूमि क्रय मद हेतु विभागीय आय–व्यय में स्वीकृत बजट प्राविधान के सापेक्ष कुल ₹ 105.3065132 करोड की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष इस कार्यालय स्तर से सम्बन्धित कार्यदायी खण्डों को कुल ₹ 105.2645685 करोड की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। किन्तु योजनान्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड़ के कार्य में अच्छी वित्तीय प्रगति न होने तथा अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली के पत्र दिनांक 30.12.2023 के द्वारा योजनान्तर्गत सम्बन्धित कार्यो (क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0) हेतु कुल ₹ 0.8279833 करोड़ की अतिरिक्त धनावंटन की मांग सूचित कराये जाने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023–24 में सम्बन्धित कार्यदायी खण्डों के मध्य उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निम्नविवरणानुसार ₹ 0.8279833 करोड (₹ बयासी लाख उनासी हजार आठ सौ तैंतीस मात्र) का पुर्नआवंटन/समायोजन इगित शर्तों के अंतर्गत किया जाता है।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. स.	कार्य का नाम	खण्ड का नाम	पूर्व आवंटन	अब आवंटन/समायोजन	योग, आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा प्रताप नगर/टिहरी/घनसाली के अन्तर्गत टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण हेतु नाप भूमि अधिग्रहण कार्य (मार्ग की लम्बाई 234.60 कि0मी0)	निर्माण खण्ड, चिन्यालीसौड	325.00	– 325.00	0.00
2	जनपद नैनीताल में बगडवार बैण्ड से दूनी (बिरसिग्या) मोटर निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन.पी.वी. मद में भुगतान हेतु। (क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 33.92860 लाख एवं एन.पी.वी. भुगतान हेतु रू0 48.86973 लाख)	अस्थाई खण्ड, भवाली	0.00	+ 82.79833	82.79833
	योग		325.00	–242.20167	82.79833

आवंटन की शर्तेः– (1) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के द्वारा उक्त आवटन तालिका के "स्तम्भ– 5 के अनुसार" प्रकरणवार/खण्डवार पुर्नआवटन धनराशि का भुगतान, सम्बन्धित योजनान्तर्गत एवं निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक दशा में एवं नियमानुसार दिनॉक 31/03/2024 से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा, किसी भी दशा में आबंटित धनराशि न तो लैप्स की जायेगी और न ही सृजित वित्तीय दायित्व अगले वित्तीय वर्ष हेतु अवशेष रखे जायेंगे।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के द्वारा उक्त तालिकानुसार मार्गवार/ खण्डवार आबंटित धनराशि, पूर्णरूप से नियमानुसार व्यय की जायेगी, किसी भी दशा में आवंटित धनराशि लैप्स /समर्पित नही की जायेगी। आवंटित धनराशि पूर्ण रूप से व्यय न किये जाने अर्थात् धनराशि का समर्पण किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरूद्व सक्षम प्राधिकारी के स्तर से कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के द्वारा उक्त तालिका में वर्णित कार्यो में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन.पी.वी. हेतु आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित प्रभागीय लैंगिग प्रबन्धक वन विकास निगम/क्षेत्रीय प्रबन्धक, वन विकास निगम को भुगतान किये जाने से पूर्व शासन के पत्र संख्या 4717/।।। (2)/18–37(सामान्य)/2017 दिनांक 19.09.2018 में निहित प्रकिया एवं तद्विषयक सुसंगत नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के द्वारा उक्त तालिकानुसार प्रकरणवार/खण्डवार आबंटित धनराशि का भुगतान वनविभाग के पक्ष में तत्काल न किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को विलम्ब हेतु उत्तरदायी माना जायेगा तथा आबंटित धनराशि का भुगतान वनविभाग को विलम्ब से किये जाने के फलस्वरूप यदि वनविभाग द्वारा सम्बन्धित प्रकरणों में एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा पथ वृक्षारोपण की देय धनराशि के भुगतान की मॉग संशोधित दरों अर्थात बढ़ी हुई दरों के आधार पर की जाती है तो संशोधित वृद्वि हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णतः उत्तरदायी मानें जायेंगे।

P/c Attested

(क्रमशः पेज सं0–2 पर)

Scanned with OKEN Scanner

(5) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के द्वारा खण्डवार आबंटन से अधिक का व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा तथा तालिका में सम्मिलित मार्गो के स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा पथ वृक्षारोपण आदि हेतु पूर्व मानको के अनुसार यदि वित्तीय प्राविधान सम्मिलित हो तो मूल आगणन में एन0पी0वी0 आदि हेतु प्राविधानित धनराशि पूर्णतः बचत की जायेगी इसे अन्यत्र मदों में व्यय नही किया जायेगा अन्यथा वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता स्वयं ही उत्तरदायी मानें जायेंगे।

(6) यदि उक्त तालिका में वर्णित प्रकरणो में एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण भुगतान तथा पथ वृक्षारोपण भुगतान आदि हेतु आबंटित धनराशि वनविभाग के पक्ष में पूर्व में जमा की जा चुकी हो तो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित प्रकरणो में पुर्नभुगतान, डुप्लीकेट भुगतान, नियमविरूद्व भुगतान किसी भी दशा में नही किया जायेगा तथा इस कार्यालय द्वारा मार्गवार/प्रकरणवार आबंटित धनराशि सम्पूर्ण विवरण सहित एक सप्ताह के अर्न्तगत इस कार्यालय को तत्काल वापस कर दी जाय, ताकि यह धनराशि अन्य प्रकरणो/खण्डो को आबंटित की जा सके।

(7) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(8) उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों (क्रमांक 1 से 5 तक) में निहित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय, वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22, के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, 04–जिला तथा अन्य सड़के, 337–सड़क निर्माण कार्य, 03–राज्य सेक्टर, 04–एन.पी.वी. का भुगतान, 54– भूमि क्रय के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– (1) अलोटमेन्ट आई0डी0 (01 पृष्ठ)

16/3/24

(इं0 दीपक कुमार यादव)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0–सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता (नियोजन), कार्या0 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी।
6. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
7. मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, (नियोजन–।।।), कार्या0 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
8. मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।

संलग्नः–अलोटमेन्ट आई0डी0 (01 पृष्ठ)
H24030220424

16/3/24

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

P/C Attested
AE

Scanned with OKEN Scanner

सरकार,
र्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन
त्रालय
्त्रीय कार्यालय (उत्तर--केन्द्रीय क्षेत्र)
5 सुभाष रोड, देहरादून- 248001
रभाष: 0135--2650809
ैक्स--0135--2653010
ेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

त्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 85 / 2016 / एफ0सी0 | 6918,

दिनाक 19 / 07 / 2018

वा मे,

अपर मुख्य सचिव (वन)
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड देहरादून।

षय : जनपद – नैनीताल में बगडवार बैण्ड से दूनी (विरसिंग्या) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

न्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 473/X-4-16/1(138)/2016 दिनांक 26.05.2016

होदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/9480/2015 एव अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-- नैनीताल में बगडवार बैण्ड से दूनी (विरसिंग्या) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.00 है0 ग्राम – बबियाड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं आगामी 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। चूंकि भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अत इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एव नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007--एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।

5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहा--जहा सम्भव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख--रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

6. State Govt. will upload correct employment generation details in online Part-I at para-E

P/c Attested
AE

उद्धरण खतौनी N.Z.A. (अंशभाग)

ग्राम बबियाड़ — पट्टी थ्यानी रौ — तहसील धारी — जिला नैनीताल — फसली से सं० — फसली तक।

1 खाता संख्या	2 खातेदार का नाम व पिता का नाम व निवास स्थान	3 मौरूसी अधिकारी आरम्भ होने का वर्ष	4 खेत की प्रत्येक प्लाट की संख्या	5 क्षेत्रफल हैक्टेयर	6 खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	7 सं० फसली	8 सं० फसली	9 सं० फसली	10 सं० फसली	11 सं० फसली	12 सं० फसली	13 विवरण
श्रेणी-9(3)ख-2	जिनमें अन्य प्रकार के वृक्ष झाड़ियाँ, लम्बी घास इत्यादि हों।—											
47	जंगलझाड़ी ※		356	17.827								
			357	15.166								
			358	3.577								
			|	|								
			2831	5.402								
			✓2896	3.465								
			2897	1.585								
			2898	2.981								
			|	|								
			4228	0.416								
			4263	29.830								
			4735	3.072								
		योग	27	229.150	—							

श्रीमान जिलाधिकारी नैनीताल के कार्यालय पत्र सं० 15/12-[illegible] /2023-2024 दिनांक 12 जुलाई 2024 के पारित आदेश में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० III/XXVII/11/2012-18(120) दिनांक 9-07-2012, शासनादेश सं० 1887/XVIII(II)2015, दिनांक 30-07-2015 तथा उपजिलाधिकारी धारी (नैनीताल) की आख्यानुसार जनपद नैनीताल में बगड़वार बैण्ड से दूनी-सिरसिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम बबियाड़ के NZA खाता सं० 47 के खेत नं० 2896 रकबा [illegible] है० भूमि को वन विभाग नैनीताल के प्रशासनिक नियन्त्रण में निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरित / नामान्तरित की जाती है। परवाना अमलदरामद दर्ज किया, [illegible] रा०नि० 23-07-2024

Nitin Chaudhary
RSE Babiyad
30/07/2024

महोदय, NZA खतौनी नकल मुताबिक असल के तैयार करआरी की।

[stamp] Nitin Chaudhary RSE Chauinjal Babiyad Teh. Dhari 30/07/2024

ग्राम बबियाड़ परगना छ्यानी रौ तहसील धारी जिला नैनीताल फसली से फसली तक।

उद्धरण खतौनी N.Z.A. (अंशभाग)

खाता संख्या	खातेदार का नाम व पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी आरम्भ होने का वर्ष	खेत का प्रत्येक खेत की खसरा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	सं० फसली	सं० फसली	सं० फसली	सं० फसली	सं० फसली	सं० फसली	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	श्रेणी- 9(3) ङ कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि —											
48	बंजर ※		16	0.019		श्रीमान जिलाधिकारी नैनीताल के कार्यालय पत्र सं० 05/12-अ०ई०ए०सी०/ 2023-24 दि० 12 जुलाई 2024 के पारित आदेश में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 111/XXVII/ II/ 2012-18(120) दिनांक 9-07-2012, शासनादेश सं० 1887/XVIII (II) 2015, दिनांक 30-07-2015 तथा उपजिलाधिकारी धारी की आज्ञानुसार जनपद नैनीताल में बनड्यूड़ क्षेत्र से दूसी- विराखिण्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम बबियाड़ के NZA खाता सं० 48 के खेत नं० 2801 म० रकबा 0.778 हे० व खेत नं० 2802 रकबा 3.506 हे० कुल 4.284 हे० भूमि को वन विभाग नैनीताल के प्रशासनिक नियन्त्रण में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन हस्तांतरित/नामांतरित की जाती है परवाना अमलदरामद दर्ज किया, ह० रा०नि० 25-07-2024 Nitin Chaudhary R.I. Babiyad 30/07/2024						—
			91	0.133								
			141	0.056								
			159	0.197								
			|	|								
			2800अ	0.149								
			✓2801 म०	0.778								
			✓2802	3.506								
			2803	1.819								
			|	|								
			4432/5221	0.381								
			5163/5225	0.025								
		योग	508/3	192.280								

वनभूमि हस्तांतरण / अमल

[signature]
इन्द्राज
1/8/24

महोदय,
NZA खतौनी नकल मुताबिक असल के तैयार कर जारी की,

Nitin Chaudhary
R.K. Chaukiyalal
R.I.C. Babiyad
Teh. Dhari
30/07/2024

গ্রাম - কোবিধাড়

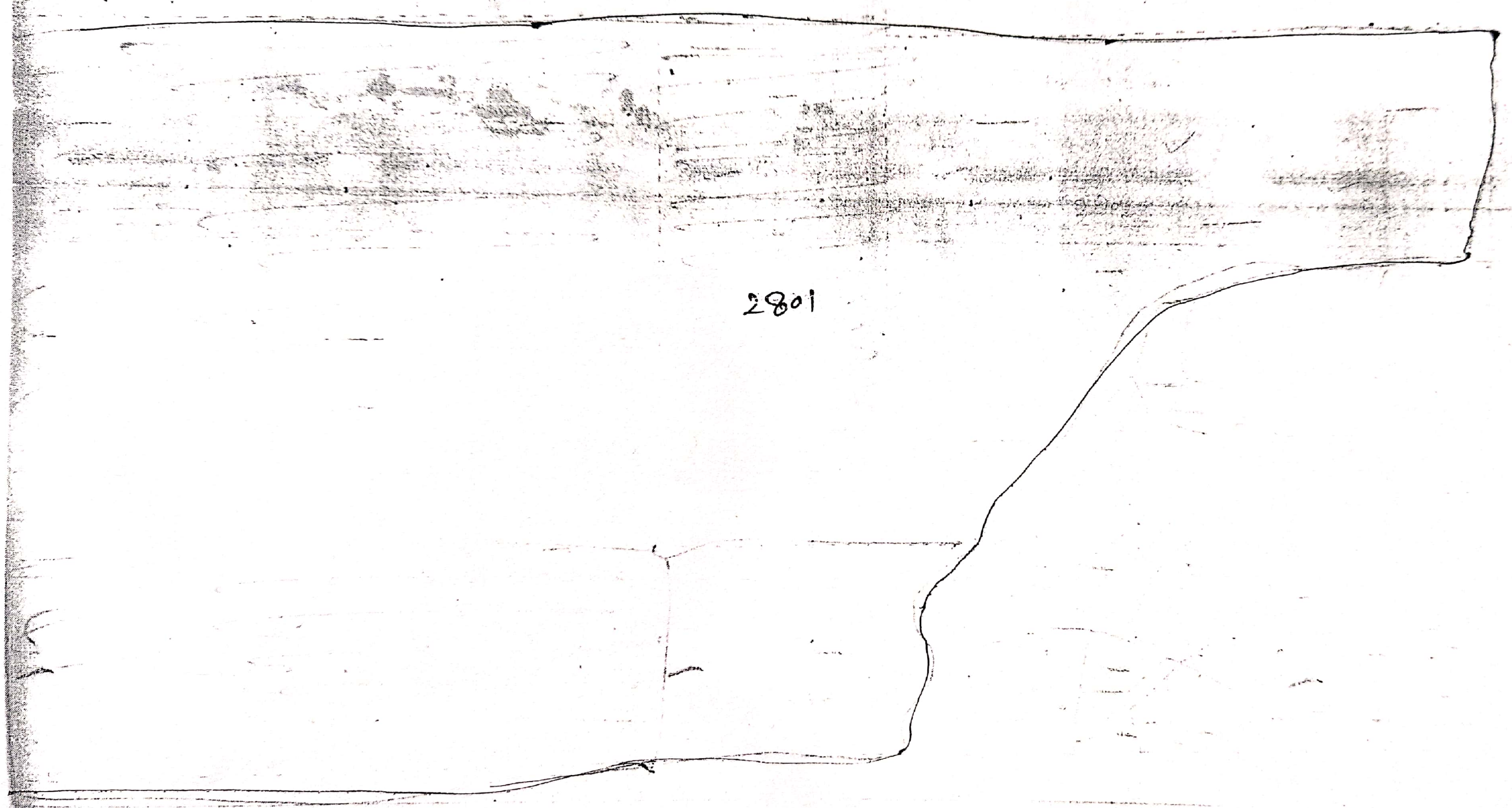

Scanned with OKEN Scanner

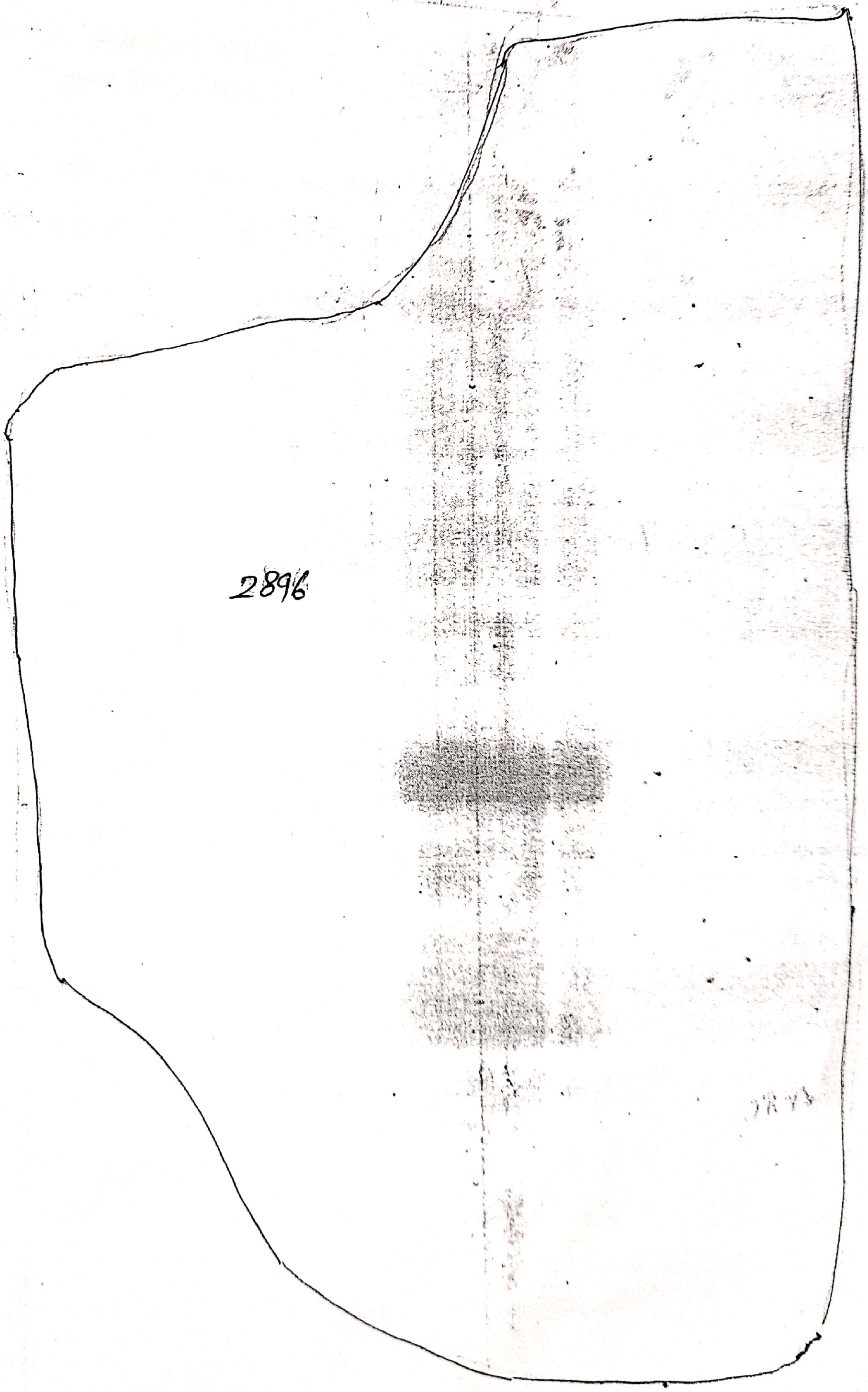

Scanned with OKEN Scanner